an>

Title: Need to provide 50 per cent reservation to the students of Rajasthan in National Law University, Jodhpur.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : महोदय, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक विषय के प्रति आकृष्ट कराना चाहता हूँ और आपने उसके लिए मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

महोदय, देश भर में 15 राज्यों में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। उन 15 राज्यों में जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, उसमें कुल मिलाकर 1685 सीट्स हैं। उनमें से 11 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में भोपाल से लेकर बंगलौर तक 11 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में 11 परसेंट से लेकर 66 परसेंट तक सीटें राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान के जोधपुर में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विधि विश्वविद्यालय है, जहाँ राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि स्थापना से लगभग 15 साल बीत जाने के बाद भी राजस्थान के विधि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर में एडमीशन लेना चाहते हैं, राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गयी है। शीघ्र ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, इसके लिए मैं सरकार से माँग करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी और श्री देवजी एम. पटेल अपने आपको श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।